न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/375

रामपाल पुत्र बिरधा जी जाति गुर्जर निवासी बीरोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. अशोक पुत्र सियाराम जाति कलाल निवासी खातौली ।
2. तेजमल पुत्र श्री बिरधी लाल जाति बावरिया निवासी तलाब तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जितेन्द्र चौरसिया, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बीरोदा की आराजी खसरा नम्बर 257/336 रकबा 0.62 हैक्टर व खसरा नम्बर 316/337 की रकबा 1.78 हैक्टर कुल किता 02 रकबा 2.40 हैक्टर भूमि स्थित उक्त भूमि प्रार्थी के खाते में दर्ज है जिस पर प्रार्थी निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है प्रार्थी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 316/337 के समीपस्थ लगवा सिवायचक खाते सरकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 316 मुताबिक नक्शा पटवारी उत्तर व दक्षिण दिशा की तरफ स्थित है तथा प्रार्थी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 316/337 के नक्शा मुताबिक पश्चिम दिशा की तरफ है । उक्त भूमि पर भी प्रार्थी निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक तरीके से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा तहसीलदार पीपल्दा अप्रार्थी कम 3 द्वारा जारी किये गये धारा 91 एलआर एक्टा 1956 की पालना में सन् 2012 से लगातार 2016 तक शास्ति राजकोष में जमा कराता चला आ रहा है और काबिज काश्त चला आ रहा है । अप्रार्थी कम 2 को आराजी खसरा

नम्बर 316 रकबा 4.47 हैक्टर में से 1.27 हैक्टर कृषि भूमि नामान्तरकरण संख्या 116 से गैर खातेदार दर्ज किया गया लेकिन अप्रार्थी कम 2 का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है । अप्रार्थी कम 2 उक्त भूमि पर गैर खातेदार दर्ज होने के आधार पर प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जिसका उसे अधिकार नहीं है । यदि दौराने वाद उक्त भूमि से अप्रार्थी ने प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी । प्रार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त वाली कृषि आराजी में जो प्रार्थना पत्र में वर्णित मद संख्या 2 व 3 में है पिर किसी प्रकार की बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न नहीं करे । ऐसा कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.06.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.06.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी अपीलान्ट का वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है और वह अपने अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में है । रेस्पोडेन्ट कम 2 का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था । प्रार्थना पत्र पेश करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.07.2016 को प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी थी परन्तु इसके उपरान्त दिनांक 14.06.2017 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के कारण भी अंकित नहीं किये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में, उसके बाद सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति किसके पक्ष में हैं इन तीनों बिन्दुओं पर विचार नहीं किया है । इस प्रकार उक्त अपीलाधीन निर्णय, निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है । प्रार्थी अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य था इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः

अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने कब्जे के आधार पर हक, घोषणा का दावा पेश किया है जो मेन्टेनेबल नहीं है । रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति के सदस्य हैं जबकि अपीलान्ट सामान्य जाति के हैं । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में दर्ज है और उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त हैं । प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बीरोदा की आराजी खसरा नम्बर 257/336 रकबा 0.62 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 316/337 रकबा 1.78 हैक्टर कुल 02 किता की 2.40 हैक्टर भूमि रामपाल पुत्र बिरधा जाति गुर्जर के नाम खातेदारी में दर्ज है । नक़्शा ट्रेस की फोटो प्रतियॉ पेश की हैं । दोनों खसरा नम्बरान की खसरा गिरदावरी भी पेश की गई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 142 पुराना खाता संख्या 131 की खसरा नम्बर 316/339 रकबा 1.27 हैक्टर भूमि अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 2 तेजमल पुत्र बिरधीलाल जाति बाबरिया के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 325 दिनांक 30.03.2015 से खसरा नम्बर 316/339 रकबा 1.27 हैक्टर पर खातेदारी दर्ज हुई का नोट अंकित है । नकल जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 के अनुसार ग्राम बीरोदा की आराजी खसरा नम्बर 316 रकबा 3.20 हैक्टर भूमि सिवायचक दर्ज है। नकल नामान्तरकण संख्या 116 की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अुनसार रेस्पोडेन्ट कम 2 के पक्ष में गैर खातेदारी दर्ज करने की स्वीकृति दी है । नामान्तरकरण संख्या 325 की फोटो प्रति भी संलग्न की गई है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 316/339 रकबा 1.27 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट कम 2 के पक्ष में खातेदारी स्वीकृत की गई है । कुछ खसरा परिवर्तनशील एवं 91 एलआरएक्ट के नोटिस की फोटो प्रतियॉ भी पत्रावली में संलग्न हैं ।

10. प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 316/337 की समीपस्थ पश्चिम दिशा में जो सरकारी सिवायचक आराजी है उस पर प्रार्थी का कब्जा है । प्रार्थी को 91 एल0आर0 एक्ट के तहत नोटिस भी दिये जाते रहे हैं । अप्रार्थी कम 2 को आराजी खसरा नम्बर 316/339 रकबा 1.27 हैक्टर आवंटित कर गैर खातेदारी में दर्ज की गई परन्तु उनका मौके पर कब्जा नहीं है । गैर खातेदारी दर्ज करते समय नक्शे में तरमीम नहीं की गई है और बाद में नक्शा में तरमीम की गई है । जबकि इस आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं है ।

11. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक थी जिसको रेस्पोडेन्ट कम 2 की गैर खातेदारी में और बाद में खातेदारी में दर्ज किया गया है । इस आराजी पर कब्जे के आधार पर प्रार्थी अपीलान्ट ने हक, घोषणा का दावा पेश कर यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है । वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक थी जिसको रेस्पोडेन्ट कम 2 को आवंटन के उपरान्त गैर खातेदारी एवं खातेदारी प्रदान की गई है । अपीलान्ट प्रार्थी का दावा कब्जे के आधार पर हक, घोषणा का है जो कि मेन्टेनेबल नहीं है इस कारण प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है और न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है और न ही अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है । रेस्पोडेन्ट कम 2 वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2017 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 16.112018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16.11.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा